उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २२.१.२००१ को सम्पन्न हुई १८२वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २२.१.२००२ को बैठक हुई,जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

१.	श्री महेश दत्त शर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
२.	श्री वी०एन०गर्ग, आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
३.	श्री टी०पी०पाठक, विशेष सचिव, आवास प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव आवास, उ०प्र०शासन	सदस्य
४.	श्री जी०बी०पटनायक सचिव, सार्वजनिक उद्यम,	सदस्य
5-	श्रीमती स्मिता चौधरी विशेष सचिव,वित्त,उ०प्र०शासन	सदस्य
6-	श्री वी०के०गुप्ता, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
7-	जल निगम के प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
8-	निदेशक सी०बी०आर०आई०रूढ़की के प्रतिनिधि श्री आर०डी०सिंह	सदस्य
9-	श्री एस०एम०ए०बुखारी,मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
10-	श्री एस०के०द्विवेदी,अपर आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सचिव

विशेष आमंत्री के रूप में

11-	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
12-	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
13-	श्री एस०पी०अग्रवाल,विधि परामर्शदाता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये :-

मद स.	विषय	निर्णय
१	२	३
१.	परिषद की १८१वीं बैठक दिनांक२.११.२००१ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। मद संख्या-१८ पर पूर्व निर्णय के क्रम में निर्णय लिया गया कि चूँकि शासन द्वारा यू०पी०आई०एल० के लिए एफ.ए.आर. २.३५ कर दिया गया है । अतः सी०एम०एस० को आवंटित स्कूलभूखण्ड हेतु एफ.ए.आर. को भी इसी अनुपात में बढ़ा दिया जाय ।
२.	परिषद की १८१वीं बैठक दिनांक२.११.२००१ की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित किया गया।
३.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियोंकी सूची प्रथम तथा द्वितीय।	सूची -१ तथा सूची-२ अनुमोदित
४.	परिषद की मझोला आवासीय योजना मुरादाबाद की बाढ़ से सुरक्षा सिंचाई विभागद्वारा गागन नदी पर बन्धाबनाये जाने केसम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद मझोला स्कीम को बाढ़ से सुरक्षित रखने हेतु,गागननदी पर बधा बनानेहेतु रू० २५०लाख मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु यह धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से ही दी जाय। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से एक शासनादेश भी जारी कराया जाये। मझोला आवासीय योजना (द्वितीय चरण) के लिए भी भूमि अर्जन आदि की अग्रिम कार्यवाही की जाय ।
५.	उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद द्वारा मात्र १००.०० के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट कर सम्पत्तियों का आवंटन किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
६.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश शबी (अप्रवासी भारतीय) को आवंटित आवासीय भूखण्ड सं० १५/१११ का भौतिक कब्जा एवं देय विलम्ब शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों का निस्तारण करने के लिए आवास आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है । समय से सूचना न देने हेतु जाँच करके उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय ।

136

१	२	३
७.	सूबेदार/क्लर्क स्व० श्री गिरिजा शंकर सिंह की पत्नी श्रीमती दृष्टि कुमारी को वृन्दावन योजना में प्राथमिकता के आधार पर एक भवन आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित ।
८.	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग भवन सं० ए-१४३७/४ के विरूद्ध देय ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
९.	नागालैंड में देश की सीमा पर रक्षा करते समय शहीद हुए श्री कृष्ण कुमार सिंह, राइफल मैन के आश्रित को वृन्दावन योजना में आधे मूल्य पर भवन दिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि स्व०श्री कृष्णकुमार सिंह राइफल मैन के आश्रित श्रीमती माया देवी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने किसी अन्य स्थानपर शासन अथवा अन्य किसी संस्था से आवास नहीं लियाहै और उनके इस सम्पत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य को नही किया जायेगा और साथ ही इनके आवास को १० वर्षो तक फ्रीहोल्ड किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
१०.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के नीलगिरी काम्प्लेक्स में स्थित दुकान संख्या एस-१३ श्री इसरार के संबंध में।	अनुमोदित/टोकेन धनराशि रू. १००००.०० जब्त करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जाय।
11.	वृन्दावन योजना लखनऊ में पी०जी०आई० के अधिकारियों/कर्मचारियों को वरीयता दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित।
12.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में आवंटित भवन के विरूद्ध आरोपित ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
13.	परिषद की योजनाओं में कारगिल शहीदों के आश्रितों एवं सीमा पर तैनात सेवारत सुरक्षा कर्मचारियों के संबंध में।	अनुमोदित ।

१	२	३
४.	श्रीमती साधना जगदीश के पक्ष में विकास नगर योजना में प्रदिष्ट भवन सं० ११/३२४ के विरूद्ध देय धनराशि को किश्तों में किये जाने के संबंध में।	विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि ३.५ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज माफ कर दिया जाय । साथ ही अवशेष धनराशि चार त्रैमासिक किश्तों में बिना ब्याज वसूल कर ली जाय । यदि उपरोक्त से सहमत न हों तो छोटा मकान आफर कर दिया जाय ।
५.	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण ।	अनुमोदित ।
६.	परिषद की कबीर नगर योजना वाराणसी में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या २६/१४ पर लगाये गये साधारण ब्याज, अतिरिक्त ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
७.	इंदिरा नगर योजना देहरादून स्थित भूखण्ड संख्या १४४४ के विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में ।	अस्वीकृत ।
८.	परिषद की राधिका विहार मथुरा स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ५७६ के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
९.	परिषद की इंदिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में श्रीमती रीता खन्ना को आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या १६/१०४१ व १६/१०४२ के विरूद्ध देय बकाया धनराशि के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
१०.	परिषद की ट्रान्स यमुना फेज-द्वितीय आगरा में जल निगम को आवंटित भूमि के विरूद्ध लगाये गये साधारण एवं अतिरिक्त ब्याज की माफी के सम्बन्ध में ।	प्रकरण को परिषद की अगली बैठक में इस निर्देश के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया कि परिषद की परियोजना की अध्यावधिक प्रगति के साथ प्रस्तुत किया जाय । जल निगम से भी आख्या प्राप्त कर प्रस्तुत की जाय ।

१	२	३
२१.	परिषद की इंदिरा नगर योजना लखनऊ में दुकान संख्या एस-२०/१ के स्थान पर नीलगिरी काम्पलेक्स में दुकान संख्या एस-१८/१ प्रदेशन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
२२.	निर्माण खण्ड-३४ वाराणसी के निष्प्रयोज्य वाहन के विरूद्ध एक नग नई जीप क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में।	परिषद द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निर्माण खण्ड-३४ वाराणसी हेतु टैक्सी की व्यवस्था कर,व्यवस्था देख ली जाय तथा पुरानी गाड़ी की तत्काल नीलामी की जाय।
२३.	प्रभारी अधिकारियों(वास्तुविद नियोजकों) को दूरभाष भत्ता दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
२४.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
२५.	श्री संतोष कुमार सिंह कम्प्यूटर आपरेटर(संहत वेतन) को इन्दिरा नगर लखनऊ में स्टाफ भवन आवंटन के संबंध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
२६.	स्व०श्री एस०एस०एच०जाफरी सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु कार्योत्तर संस्तुति प्रदान करने के संबंध में।	प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु अनुमोदित।
२७.	परिषद की तेलीबाग योजना(वृन्दावन योजना) लखनऊ में कार्यरत/तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
२८.	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किए जाने के उपरान्त समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
२९.	परिषद कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में।	अनुमोदित ।

१	२	३
३०.	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के नान फील्ड जाब की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डी०पी० सी०द्वारा चयनित क्रमांक-१ व २ क्रमशः सर्वश्री हरेन्द्र सिंह नरेश, शकील अहमद को अकार्यकारी अवधि पूर्ण होने पर तैनाती की जाय तथा क्रमांक-३ पर श्री राम औतार को अकार्यकारी खण्ड में तैनाती की जाय तथा अकार्यकारी अवधि पूर्ण होने पर प्रोन्नति के पद पर तैनात किया जाय ।
३१.	श्री एस०पी०अग्रवाल,परामर्शदाता(विधि) की नियुक्ति की निरन्तरता के संबंध में।	अनुमोदित ।
३२.	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को कम्प्यूटर शिक्षा दिए जाने की अनिवार्यता के संबंध में।	अनुमोदित ।
३३.	श्री वी०जी०मेहरा,प्रभारी अनुभाग अधिकारी का विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित ।
३४.	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	अनुमोदित ।
३५.	परिषद के स्टाफ स्ट्रेन्थ के अन्तर्गत ''कम्प्यूटर संवर्ग'' की स्थापना किये जाने एवं पदों के सृजन के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि शासन को पुनः संदर्भित किया जाय ।
३६.	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग का पुनर्गठन।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सभी संवर्गों के विषय में अध्ययन कर स्थायी जनशक्ति का एकीकृत प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने हेतु प्रस्तुत किया जाय।
३७.	श्री नेपाल सिंह, प्रभारी अधिकारी परिकल्पना एवं शोध विकास वृत्त लखनऊ को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

१	२	३
३८.	अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन से प्राप्त गाइड लाइन्स को अंगीकृत किया जाना।	परिषद द्वारा भूमि का मूल्य लेकर प्रस्तावित गाइड लाइन्स के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।
३९.	बहुखण्डीय आवासीय भवनों में किए गए अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के संबंध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि भूमि गार्डेन लीज पर भी न दी जाय।
४०.	स्वतः निर्धारण शमन योजना के अन्तर्गत निरस्त किये गये प्रकरणों पर दायर अपीलों के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित । भविष्य में समिति द्वारा स्थल पर भौतिक सत्यापन भी किया जाये ।
४१.	वृन्दावन योजना सं०-२ में विधायक एवं सांसद सहकारी आवास समिति लि० के सदस्यों के पक्ष में भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि विकसित भूखण्ड प्राथमिकता पर वर्तमान मूल्य पर दिया जाय। यदि इससे सहमत न हों तो योजना सं०-२ भाग-३ में अविकसित भूखण्ड रु. १२५०/- प्रति वर्गमीटर की दर से आफर कर दिया जाय।
४२.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
४३.	परिषद की राजाजीपुरम योजना में श्री मनमोहन को स्टाफ क्वार्टर को अनारक्षित करते हुए उच्च आय वर्ग भवन सं० १८४७/१ में कार्यालय स्थापित होने की अवधि में लगाये गये ब्याज के माफी के संबंध में।	परिषद द्वारा मा०मुख्यमंत्री जी की संस्तुति तथा आवेदक की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में आवंटन की दिनांक से मूल लागत में तथा ब्याज की दर में २० प्रतिशत का अनुतोष दिये जाने का निर्णय लिया जाय। इसे अन्य मामलों में दृष्टांत नही माना जायेगा ।
४४.	भूखण्ड सं०-६६३/११ शास्त्रीनगर योजना मेरठ पर विलम्बित भुगतान के कारण आरोपित दण्ड ब्याज के संबंध में।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि साधारण ब्याज का ५० प्रतिशत तथा अतिरिक्त ब्याज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाय।
४५.	परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को जल निगम की भांति दि० १.१.१९९६ तक प्रदत्त समयबद्ध वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा को दिनांक १.१.९६ के आगे भी जारी रखे जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा शासन को पुनः संदर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। यदि अगली बैठक तक शासन से मार्ग-दर्शन प्राप्त न हो तो परिषद की अगली बैठक में रखाजाय।

(५)

१	२	३
४६.	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-५ की धारा-२८ का प्रस्ताव	अनुमोदित।
४७.	परिषद की १७१ वी बैठक दि० २९.५.२००१ में मद सं० २ में लिये गये निर्णयानुसार परिषद की गठित उप समिति की तृतीय बैठक दिनांक १५.१.२००२ का कार्यवृत्त।	अनुमोदित।
४८.	अध्यक्ष(म०) के अनुमति से कोई अन्य विषय।	---

पुष्टि की गई

17.7.2002